



इलाहाबाद विकारा प्राधिकरण

प्रांक : ४४/प्र०अ०-भ०न/जोन-१/२०१२-१३ दिनांक १५/४/२०१४

अनुमति-पर

यह अनुमति ७०प्र० नगर नियोजन तथा विकास आयोगियम् १९७३ की धारा १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है, जिसके द्वारा यह न रायड़ना चाहिए कि उस गृहि ले सदूचना में जिस ग्रा. व्यवसायिक (फूटकर दुकानों) का भागभित्र स्थीरता किये जा रहा है, इससे किसी एकाद या किसी स्थानीय नियम या इसका स्थानीय अधिकारी या लाइसेंस अधिकारी एवं के शालिकाना अधिकारी या उन्हें देखना अवश्यक है। यह अनुमति किसी के मिलकरता या स्वामित्व के शिकायों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

क्षेत्री नसीमा रजी पत्ती रख० रजी उद्दीन सूह पार्ट आफ सदूच नं०-५७/१/२ सिविल स्टेशन, इलाहाबाद जोन संख्या (१) के अन्तर्गत व्यवसायिक (फूटकर दुकानों) के निर्माण की अनुमति हेतु दायित्व भवन भागभित्र की स्थीरता उत्पादन भवनोंद्वारा अनुमति देना। दिनांक ३१.११.२०१३ के द्वारा नियनकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान ली जाती है :-

१. ७०प्र० नगर नियोजन एवं विकास आयोगियम् १९७३ की धा. १४ एवं (१) के प्राधिकारों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही लायोग/अधिगोग किया जायेगा। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि २००४ से उपविधि संख्या-२१.४ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्राप्ति-पत्र प्राप्त ६१०० आवश्यक है।
२. यह स्थीरता अनुरियम (Provisional), स्थीरता के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, संग्रही आवश्यक Mandatorily Clearance/N.O.C की शर्त पूर्ण प्रसन्न करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्राप्ति-पत्र' पर करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लगा जा सकेगा।
३. स्थल पर ४X३ फिट का एक बोर्ड लघावर स्थीरता राखनी विवरण अंकित करना होगा।
४. स्थल पर ०७ अद्वा वृक्ष लगाने होगे तथा बृक्षों को हश-लाला रखने का दायित्व अदिवाल कर होगा।
५. स्थल का अधिभेग/उपयोग स्थीरता प्रत्यावरण के अनुराग अवधारी हो लगा दोगा, अन्यथा जी रिप्रति ने मानित नियरत संख्या जायेगा।
६. ऐवा०४ हार्लीस्टेन का लाई नागक द्वारा अनुसूच पूर्ण कराकर भू. ग्र० जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नियम लाना आवश्यक होगा।
७. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनुमति पत्र संख्या- २०१३/६०१०/१००/रि०८०१०/००८४ दिनांक ०७.०६.२०१३, युसिस अधीक्षक-यतायापि, इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र राख्या आए/५४०१८/सौ १५(१०)/२०१३ ऐ० २८.०६.२०१३, नगर अध्यक्ष, नगर नियम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र राख्या ६३७/GTCE/१३ दिनांक २०.०६.२०१३ में अंकित प्रतिवर्द्धो का अकार अनुग्रहन करना होगा। (ज्ञायाप्रति राखियन)
८. स्थल पर नियमि पुराने नुकान को हटाने/रागालोजन करने की जिम्मेदारी आवंदिया की होगी।
९. ऐप्सेन्ट के निर्माण बगल की गायत्रे की रुक्ष के दृष्टिगत रूपते हुए १५०००००० इक्सीनियर की नेख-रेख में कराना होगा।
१०. भवन पूर्ण होने पर विद्युत चुरुआ प्रगति पत्र एवं लिल्ट पर वीफ इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर की अनुपत्ति आवश्यक होगी।
११. रोड बाइज़नेंग एरिया गो कोई भी अस्थायी/स्थायी निर्माण पूर्णतया निषिद्ध होगा।
१२. पार्किंग स्थल का उपयोग पार्किंग प्रयोजन की किया जाना बाधकारी होगा।

Continued

(Signature)
१५/०४/२०१४
०८५६३४९९०

